

## प्रपत्र-V

(७४)

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर छिन्दवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण / चौड़ीकरण हेतु 3.798 हेक्टेयर वन भूमि महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: ३०/३/१७  
स्थान: भोपाल

AK

(कैलेन्डर बुक्सर चैक्सरे)  
सचिव  
मध्यप्रदेश शासन वन्यवाहिनी विभाग  
म.प्र. शासन वन्यवाहिनी विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)